नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर तैयारियाँ तेज

- 14 नवंबर तक ठेकुआ प्रसाद के लिए मुफ्त गेहूं पिसाई की सुविधा
- 15 नवंबर को डूबते और 16 नवंबर को उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। पर्व की शुरुआत के साथ ही राजधानी में पूजा और घाटों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोजपुरी एकता मंच समिति ने श्रद्धालुओं को ठेकुआ महाप्रसाद बनाने के लिए 14 नवंबर तक निःशुल्क गेहूं पिसाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। शुक्रवार को कमला पार्क स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में आटा चक्की की पूजा के बाद एडीजी एससीआरबी जयदीप प्रसाद ने इसकी शुरुआत की।

पर्व के पहले दिन व्रतियों ने स्नान और घरों की साफ-सफाई के बाद सात्विक भोजन तैयार किया। परंपरा के अनुसार लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का प्रसाद ग्रहण किया गया। भोजन में लहसुन-प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। शनिवार को खरना होगा। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखकर शाम को पूजा करेंगे और खीर व गेहूं की रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। छठ का मुख्य आयोजन 15 और 16 नवंबर को शीतलदास की बगिया स्थित कमला पार्क घाट पर होगा। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे, जबकि 16 नवंबर को उगते सूर्य को जल और गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। इस बार घाट पर 2100 दीपों का दीपदान, नौका विहार और आतिशबाजी होगी। साथ ही 51 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा की जाएगी। घाट की सफाई, रोशनी, पेयजल, चेंजिंग रूम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। पर्व पर बिहार और वाराणसी के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। भोजपुरी एकता मंच ने श्रद्धालुओं से घाटों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है।

पांच नंबर के छठ घाट पर कल सजेगी लोक गायकों की महफिल



पूजा दीक्षित



मिथिलेश गिरी



पवन गिरी

शिवाजी नगर स्थित प्राचीन एवं प्रमुख पांच नंबर छठ घाट लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए तैयार है। भोजपुरी भाषी विकास संघ के प्रदेश महासचिव गंगा सागर यादव ने बताया कि शुक्रवार को 'नहाय-खाय' की परंपरा के साथ इस चार दिवसीय महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। शनिवार को खरना होगा। इसमें दिन भर उपवास के पश्चात शाम को भोजन (खरना) ग्रहण किया जाएगा। जिसके साथ ही व्रती माताओं-बहनों का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास प्रारंभ हो जाएगा। उधर रविवार (संध्या अर्घ्य एवं सांस्कृतिक संध्या): शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस अवसर पर घाट पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका पूजा दीक्षित तथा सुप्रसिद्ध गायक मिथिलेश गिरी और पवन गिरी जी अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे। 16 नवंबर (उषा अर्घ्य एवं पारण) सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने और पारण के साथ इस महापर्व का विधिवत समापन होगा।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं: श्री यादव ने बताया कि घाट पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं और व्रती माताओं-बहनों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। संध्या और प्रातःकालीन अर्घ्य के समय सभी के लिए निःशुल्क चाय और कॉफी की व्यवस्था रहेगी, वहीं सुबह के समय पारंपरिक घुघनी का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा।

कार के साथ 25 फीट तक घिसटता चला गया बाइक सवार, मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कोलार थाना क्षेत्र इलाके में गुरुवार रात लगभग 12:30 बजे ललिता नगर तिराहा के पास बने पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक, कार में बुरी तरह फंस गई थी। उसके साथ युवक भी लगभग 25 फीट तक घिसटता चला गया। उसने मौके पर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कोलार थाना पुलिस के मुताबिक बांसखेड़ी निवासी 34 वर्षीय अरविंद पुत्र हल्केराम सेन निजी काम करता था। गुरुवार रात को वह घर में भाई से बाइक में पेट्रोल भरवाने का कहकर घर से निकला था। अरविंद बाइक लेकर पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसे चपेट में ले लिया। इससे अरविंद बाइक सहित कार में फंसकर सड़क पर लगभग 25 फीट तक घिसटते हुए चला गया। भीषण दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अरविंद को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार को जब्त कर लिया गया है। उसके नंबर के आधार पर आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

ट्रक की टक्कर से घायल ट्रैक्टर सवार बुजुर्ग की मौत

बैरसिया थाना क्षेत्र स्थित मनख्याई जोड़ पर 10 दिन पहले तेज रफ्तार ट्रक ने अनाज लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा बुजर्ग उछलकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि ट्रैक्टर चला रहा उसके भाई को मामूली चोट लगी थी। एम्स में उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह बुजुर्ग की मौत हो गई। बैरसिया थाना पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय मनफूल अहिरवार ग्राम रमपुरा जागीर, थाना शमशाबाद जिला विदिशा में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को शिकायत में बताया कि दो नवंबर को वह अपने बड़े भाई 70 वर्षीय निर्भय सिंह अहिरवार के साथ अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में सोयाबीन लेकर रमपुरा जागीर से बैरसिया मंडी जा रहे थे। ट्रैक्टर वह खुद चला रहा था। बड़े भाई निर्भय सिंह टैक्टर पर साइड में बैठे थे। रात करीब 10 बजे के आसपास वह गांव मनख्याई जोड़ के पास पहुंचे ही थे, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी।

उधारी और शादी के दबाव में महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

- सेप्टिक टैंक में बोरी में बंद मिला था महिला का शव
- डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज बने अहम साक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अवैध संबंधों और उधारी के पैसों को लेकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी राजेंद्र प्रसाद वैद्य उर्फ राजू उर्फ नंदकिशोर को हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, साक्ष्य मिटाने के अपराध में धारा 201 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे ने बताया कि 12 अक्टूबर 2022 को शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र के मरघटिया मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में अज्ञात महिला का शव मिला था। सोशल मीडिया पर तस्वीर प्रसारित होने के बाद परिजनों ने उसकी पहचान गीताबाई के रूप में की थी। जांच में सामने आया कि गीताबाई आरोपी राजेंद्र प्रसाद वैद्य से मिलने मंदिर जाती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने उधारी के पैसे लौटाने और शादी के लिए दबाव बनाने को लेकर हुए विवाद में गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया था। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरी में बंद कर रात करीब 1:15 बजे निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में डाल दिया था और ऊपर पटिया रख दी थी। मामले में डीएनए जांच, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

अनिकेत हत्याकांडः एक और आरोपी हिरासत में

- फरार पांच आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम
- दो मुख्य आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः दीपावली की रात इब्राहिमगंज में नाली में पटाखा फोड़ने से रोकने पर छह से अधिक लोगों ने सुनीता खटीक और उनके बेटे अनिकेत पर चाकू से हमला कर दिया था। इस झगड़े में अनिकेत की मौत हो गई थी, जबकि सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इस मामले में फरार चल रहे छह में एक आरोपी को शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे फरार अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

हनुमानगंज थाना प्रभारी अवधेशसिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले में वारदात के अगले दिन मुख्य आरोपी इब्राहिमगंज निवासी 19 वर्षीय आदित्य रैकवार उर्फ आदि और 18 वर्षीय प्रेम वस्कार को गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में दोनों जेल में हैं। इस प्रकरण में फरार सभी छह आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इनमें से एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि दीपावली की रात अनिकेत के घर के पास नाली में आदित्य रैकवार अपने साथियों के साथ पटाखे जलाकर नाली में फेंक रहा था। पटाखा फूटने पर नाली से कीचड़ के छींटे उछलकर अनिकेत के घर की छत तक जा रहे थे। अनिकेत की मां सुनीता ने पटाखा फोड़ रहे युवकों का फटकार लगाई, तो वे विवाद करने लगे। शोर सुनकर अनिकेत घर से बाहर निकला, तो उसके साथ आदित्य और उसके साथियों ने मारपीट करना शुरू कर दी। साथ ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। बेटे को बचाने आगे आई सुनीता देवी को भी चाकू से घायल कर दिया था। कुछ देर तक चले उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती अनिकेत ने दम तोड़ दिया था।

भेल के ठेका श्रमिक से मोबाइल फोन झपटा, चार दिन बाद हुआ केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गोविंदपुरा थाना इलाके में आईएसबीटी के सामने बाइक सवार दो युवक भेल के एक ठेका श्रमिक से मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गए। दीपावली की रात हुई इस वारदात में पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज किया है। पुलिस का तर्क है कि घटना के बाद फरियादी अपने गांव चला गया था। वापस लौटकर आने पर उसने शिकायत दर्ज कराई। गोविंदपुरा थाना पुलिस के मुताबिक विकास नगर निवासी 41 वर्षीय आरिफ खान भेल में ठेका श्रमिक हैं। आठ नवंबर की रात लगभग साढ़े आठ बजे वह आईएसबीटी गए थे। वहां चाय की दुकान के सामने खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार दो युवक उसके पास पहुंचे। वह कुछ समझ पाता, तभी बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से फोन झपट लिया। इसके बाद दोनों तेजी से भाग निकले। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के फुटेज से बदमाशों के बारे में अहम सुराग मिल गया है। शीघ्र ही इस मामले के सुलझने की संभावना है।

एमपी नगर में एमडी ड्रग्स के साथ युवक गिरफ्तार, दिल्ली राजस्थान से जुड़े हैं तार

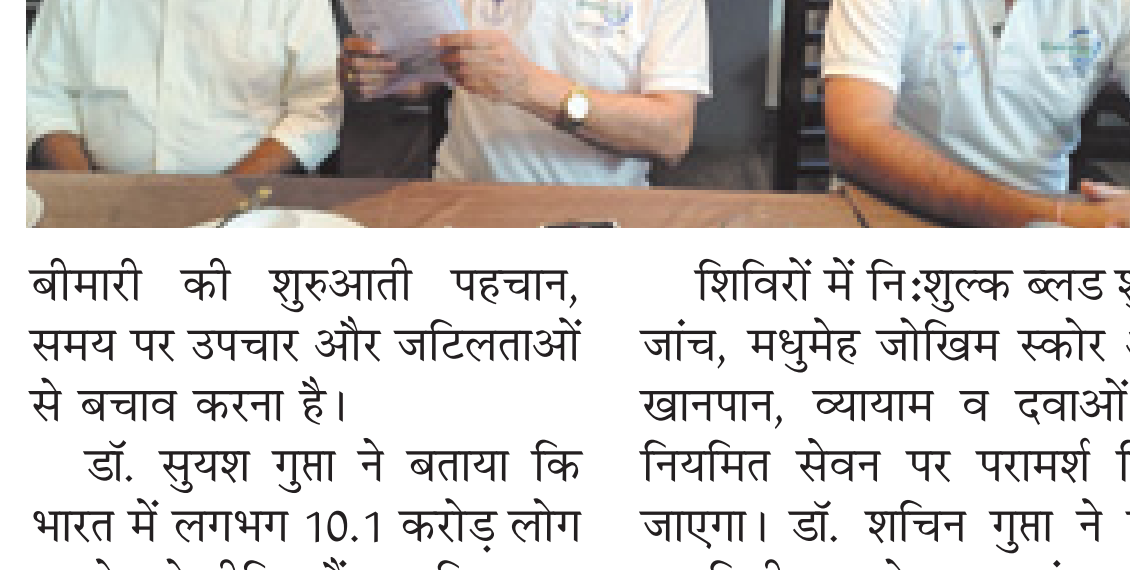
वाहन चलाने की आड़ में करता है तस्करी



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः क्राइम ब्रांच ने एमपी नगर से एक युवक को हिरासत में लेकर उसके पास से एमडी ड्रग्स बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह वाहन चालने की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी करता है। इस सिलसिले में वह अक्सर दिल्ली और राजस्थान जाता है।

आरोपी के मादक पदार्थ तस्करी के किसी बड़े गिरोह से संपर्क होने की संभावना है। पुलिस उसके पास मिले मोबाइल फोन से उसका नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। अति पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपी नगर जोन-एक स्थिति यश बैंक के पास मैदान में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मौजूद है। संभवतः वह मादक पदार्थ की खेप देने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उसके पास एमडी ड्रग्स बरामद हुई। जिसका वजन 12.76 ग्राम निकला। आरोपी की पहचान 29 वर्षीय अम्मार राजा पुत्र काईत जोहर राजा के रूप में हुई। मूलतः बिलकिसगंज, जिला सीहोर निवासी अम्मार पेशे से वाहन चालक है। भोपाल में वह कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बिलकिस जहां की गली, ओल्ड सैफिया कालेज रोड पर रहता है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह अक्सर दिल्ली एवं राजस्थान का सफर करता है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उसके आधार पर उसके तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

विश्व मधुमेह दिवस पर लगेंगे निःशुल्क जांच शिविर, युवाओं में बढ़ रहा खतरा



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विश्व मधुमेह दिवस 2026 के अवसर पर भोपाल सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में निःशुल्क जागरूकता और जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंसल्टेंट डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. शचिन कुमार गुप्ता, डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. सुयश गुप्ता और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. ललित श्रीवास्तव ने जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह अभियान रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के मध्यप्रदेश चैप्टर और कृष्णा डायबिटीज चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'अर्ली एक्शन ऑन डायबिटीज' यानी मधुमेह पर शीघ्र कार्रवाई है। इसका उद्देश्य बीमारी की शुरुआती पहचान, समय पर उपचार और जटिलताओं से बचाव करना है।

डॉ. सुयश गुप्ता ने बताया कि भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटीज की स्थिति में हैं। डॉ. ललित श्रीवास्तव ने कहा कि खराब जीवनशैली के कारण 30 से 40 वर्ष के युवाओं में भी मधुमेह तेजी से बढ़ रहा है। इससे आंखों, किडनी, हृदय और नसों को नुकसान पहुंच सकता है।

शिविरों में निःशुल्क ब्लड शुगर जांच, मधुमेह जोखिम स्कोर और खानपान, व्यायाम व दवाओं के नियमित सेवन पर परामर्श दिया जाएगा। डॉ. शचिन गुप्ता ने प्री-डायबिटीज को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। उन्होंने रोज 30 मिनट तेज चलने, संतुलित आहार लेने और नियमित व्यायाम करने पर जोर दिया। 29 नवंबर को सुबह शांतिवन, तुलसी नगर, भोपाल में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित होगा।

करीना कपूर के समर्थन में आए चंद्रशेखर तिवारी, बोले-माफी मांगने की जरूरत नहीं

नप्र, भोपाल : अभिनेत्री करीना कपूर खान के पेंडेंट में कथित तौर पर कुरान की आयतें होने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने अभिनेत्री से इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटाने और माफी मांगने की मांग की है। वहीं, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच से जुड़े चंद्रशेखर तिवारी ने करीना का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।

चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि करीना का जन्म हिंदू परिवार में हुआ है और सैफ अली खान से विवाह के बाद भी उन्हें अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर करीना ने पूजन किया और इस दौरान कुरान की आयतों वाला पेंडेंट पहना। इसमें गलत क्या है।

तिवारी ने अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहा कि वे भी गले में मां भगवती की तस्वीर और मां लिखा हुआ पेंडेंट पहनते हैं। इससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी तरह किसी पवित्र आयत को पेंडेंट में पहनने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

शराब का पैग बनाने को लेकर चाचा की हत्या, भतीजे को आजीवन कारावास



नप्र, भोपाल : शराब का पैग बनाने को लेकर हुए विवाद में अपने सगे चाचा की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी भतीजे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी आनंद गिरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, धारा 217 (बी) के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना 7 दिसंबर 2025 की है। बिलखिरिया थाना क्षेत्र में लीला गिरी अपने चाचा के खेत पर बने टपरे में रहते थे। वहां शाम को कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान शराब का पैग बनाने को लेकर लीला गिरी और उनके भतीजे आनंद गिरी के बीच विवाद हो गया।

विवाद बढ़ने पर आनंद गिरी ने चाकू से अपने चाचा पर दो वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन आरोपी ने पुलिस को सूचना देते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की बात कही थी। पुलिस की जांच में गवाहों के बयान, डीएनए रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आई। अप्रैल 2026 में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने करीब आठ महीने में मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।

दीपावली मनाने गए बिल्डर के घर से 30 लाख की चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः दीपावली मनाने सपरिवार पैतृक निवास गए बिल्डर के सूने मकान से तीन नकाबपोश बदमाश नकदी सहित 30 लाख से अधिक का सोना-चांदी समेट ले गए। एयरपोर्ट रोड स्थित पॉश कालोनी में हुई वारदात घर के आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसके आधार पर पुलिस सुराग जुटा रही है। कोहेफिजा थाना पुलिस के मुताबिक मूलतः गोहद, जिला भिंड निवासी 42 वर्षीय अरविंदसिंह गुर्जर पेशे से बिल्डर हैं। वह एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी के ब्लॉक-12 में रहते हैं। सात नवंबर की रात वह घर में ताला लगाकररपरिवार सहित दीपावली मनाने अपने गांव चले गए थे। 12 नवंबर की सुबह छह बजे वह वापस लौटे, तो घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। अंदर कमरों में भी सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी और उसके लॉकर के भी ताले टूटे थे। उसमें रखे लगभग 29 लाख के सोने के जेवर, पौने दो किलो चांदी के जेवर के अलावा एक लाख रुपये भी गायब थे। घटना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज किया है।

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

(नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिकार)

एमजेसी एसयूसी/190/2026
श्रीमती मीना वर्मा बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE 18-12-2026

प्रेषिती, आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मीना वर्मा पता- मकान नंबर-1107, भदभदा रोड, कस्तुरबा स्कूल के पास, बाणगंगा, भोपाल म.प्र. ने मृतक स्व. श्री ब्रज मोहन वर्मा की RS. 53,169 (तिरेपन हजार एक सौ उन्हत्तर रूपये) राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 18.12.2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 18.12.2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 23.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

4014

परिशिष्ट

प्रारूप-ण (नियम 22 (क)(6)देखिये)
धारा 30-क के अधीन भू-खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना
क्रमांक BPLLP18102602102/ दिनांक/ 04/Nov/2026

क्र/2167/नग्रानि/भोपाल दि. 04/NOV/ 2026

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री श्रीमती /मेसर्स मध्यप्रदेश शासन पिता/पति, Narendra Singh Lail जो नगर/ग्राम बड़बाई के खसरा क्रमांक हेतु आदेश क्रमांक 144/LP-03/Dhara 27-28 BHOPAL/District Bhopal/2013 BHOPAL दिनांक 2022-05-23 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित PUBLIC AND SEMI PUBLIC, IT INDUSTRY प्रयोजन के भू-खण्ड क्रमांक B-6, B-15 को स्वामी हैं, और श्री/श्रीमती /मेसर्स मध्यप्रदेश शासन पिता/पति, Narendra Singh Lail जो नगर हुजूर ग्राम बड़ बाई के खसरा क्रमांक 373/1/1/1 (5) में स्थित भूमि के हेतु आदेश क्रमांक 144/LP-03/Dhara 27-28 BHOPAL/District Bhopal/2013 BHOPAL दिनांका 2022-05-23 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित PUBLIC AND SEMI PUBLIC, IT INDUSTRY प्रयोजन के पू-खण्ड अथवा नगर / ग्राम बड़बाई खसरा क्रमांक 373/1/1/1 (5) रकबा 0.382 भूमि जिसका भूमि उपयोग PUBLIC AND SEMI PUBLIC है, वो स्वामी है? द्वारा उपरोक्त पू -खण्ड/ भू-खण्ड एवं भूमियों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विलियन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना प्रकाशन वा पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा https://elpass.mp.gov.in/Web/Objection.aspx?RefApp=yE3Ssg7uAa2167 पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि / भूखण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://alpass. mp. gov.in/Web/ulogin.aspx पर किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल मध्यप्रदेश

4013

जाहिर सूचना का खण्डन

एक किता आवासीय मकान क्रमांक 114-एच, राजवेद गृह निर्माण सहकारी जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 800 वर्गफिट स्थित ग्राम-गेहूँखेड़ा, कोलार रोड़ भोपाल के संबंध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, दैनिक समाचार पत्र 'राज एक्सप्रेस' में दिनांक 01/11/2026 को मोहम्मद अब्दुल खालिद (अधिवक्ता) द्वारा अपने पक्षकार श्री राहुल सिंह ठाकुर निवासी जाटखेड़ी, भोपाल की ओर से एक किता आवासीय मकान कमांक 114-एच, राजवेद गृह निर्माण सहकारी जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 800 वर्गफिट स्थित ग्राम-गेहूँखेड़ा, कोलार रोड़ भोपाल (म.प्र.) के संबंध में क्रय करने की जाहिर सूचना का प्रकाशन किया गया है, जिसका खण्डन मेरे द्वारा किया जा रहा है कि, उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के आधिपत्य की है, जो कि मेरे पक्षकार द्वारा विक्रय विलेख के माध्यम से प्राप्त की गयी है। इस प्रकार मेरे पक्षकार को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके पक्षकार द्वारा मेरे पक्षकार से धोखाकर यह आम सुचना आपसे प्रकाशित करायी गयी जबकि मेरे पक्षकार का आपके पक्षकार के साथ ऐसा कोई भी विधिक अनुबंध नही है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का संव्यवहार करता है, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

K.K. Kala, Advocate)
Office:-32GF, Sarnath Complex Zone-1, M.P.Nagar Bhopal (M.P.)
Mobile:-9993411804

4012

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित है कि ग्राम कचनारिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 350/2/2/1 रकवा 3.439 हे. तथा खसरा क्रमांक 368/2 रकवा 2.770 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 6.223 हे. के संबंध में मेरी पक्षकार का श्रीमती जया बाई श्रीमती विमला वाई तिवारी मनीष रजनीश, श्रीमती ऋतु तथा श्रीमती शारदा वाई श्रीमती चंदा वाई अब मृतक वारसान सुशीला के मध्य व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड रौनक रिंकी श्रीमती मिथिलेश तथा श्रीमती सुशिला के माध्यम से मध्य व्यवहार वरष्ठिखंड बैरसिया जिला भोपाल के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रं. 111 ए/2025 श्रीमती जया वाई आदि विरूद्ध श्रीमती शारदा वाई आदि पेशी दिनांक 11/11/2026 तथा राजस्व अपील क्रं. 78/2026-27 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया के समक्ष विमला वाई तिवारी आदि के विरूद्ध चंदा वार्ड आदि के नाम से वटान पुरुस्ती हेतु दिनांक 18/11/2026 को वादोत्तर हेतु नियत है। इस सबंध में पंजीयक महोदय भोपाल तथा उप पंजीयक महोदय बैरसिया के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है के सबंध में कोई संस्था, फर्म या निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार स्वत्व परिवर्तन संबंधी संव्यवहार करता है तो उक्त संव्यवहार जो किसी भी प्रकार का हो। मेरे पक्षकारगण पर बंधनकारी न होकर शून्य प्रभावी होगा। सूचित रहे।

YASHWANT JAIN,ADVOGATE
ADD-CIVIL COURT BERASIA
MOB-9713535831

4011

कार्यालय सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन/ शेड क्रमांक 81 ए-सेक्टर मण्डल द्वारा सुश्री शमीम बेगन पुत्री स्व. श्री अब्दुल हकीम के नाम भाडाक्रय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क्र. 9239-41. दिनांक 1/12/1984 को आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 2/8/2000 को पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत है। सुश्री शमीम बेगम पुत्री स्व. श्री अब्दुल हकीम द्वारा संपत्ति का रजिस्टर्ड वसीयतनामा श्री शफीक खान आत्मज श्री रफीक खान के नाम पर दिनांक 6/9/2014 को पंजीकृत कराया गया है। सुश्री शमीम बेगम पुत्री एवं श्री अब्दुल हकीम की दिनाक 11/10/2015 की मृत्यु हो जाने के उपरांत श्री शफीक खान आत्माज श्री रफीज खान की द्वारा मण्डल में नामान्तरण की कार्यवाही कराये बिना ही उक्त भवन का विक्रय विलेख दिनांक 20/4/2018 की पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्रीमती नूर बानो पत्नी श्री शमीम खान को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्रीमती नूर बानो पत्नी श्री शमीम खान द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 20/4/2018 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल रजिस्टर्ड वसीयतनामा श्री शफीक खान आत्मज श्री रफीक खान एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नहीं चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगी। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विक्रय विलेख दिनांक 20/4/2018 के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती नूर बानों पत्नी श्री शमीनमखान के नाम पर हस्तांतरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि क पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

4010

कार्यालय सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन/भूखण्ड क्रमांक 16 बी- सेक्टर मण्डल द्वारा श्री हबीबुर रहमान आत्मज श्री शेख हुसैन के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क्र 8890-8905 दिनांक 9/10/1985 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनाक 14/10/1985 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री हबीबुर रहमान आ. श्री शेख हुसैन (पिता जी) की दिनाक 23/10/2006 एवं श्रीमती जामीला बी पत्नी श्री हबीबुर रहमान (माता जी) की दिनांक 26/10/2014 तथा श्रीमती नज्मुननिसा आलम (नजमा आलम) पत्नी स्व. श्री महबूब आलम (बहन) की दिनांक 11/01/2021 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पुत्रगण एवं नाती । श्री इबादुर रहमान आत्मज स्व. श्री हबीबुर रहमान 2) श्री नईमुर रहमान आत्मज स्व. श्री हबीबुर रहमान 3) श्री शादाब आलम आत्मज स्व श्री मेहबूब आलम के नाम नामान्तरण आदेश क्र. 12508 दिनांक 19/10/2022 को नामांतरित किया गया है। आवटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 13/01/2023 की उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। श्री शादाब आलम आत्मज स्व. श्री मेहबूब आलम का देहान्त दिनांक 16/07/2023 के मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती तबस्सुम खान पत्नी स्व. श्री शादाब आलम के द्वारा उक्त संपत्ति में अपना संयुक्त नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र मूल आवंटी के अन्य वारिसो का अनापत्ति शपथ-पत्र परिचय पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति) 1श्री इबादुर रहमान आ. स्व. श्री हबीबुर रहमान 2) श्री नईमुर रहमान आत्मज रव श्री हबीबुर रहमान 3) श्रीमती तबस्सुम खान पत्नी स्व . श्री शादाब आलम के संयुक्त नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपति होता 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करे, समयावधि के पश्चात कोई भी आपति स्पीकर नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

4009

कार्यालय राजस्व निरीक्षकवृत्त 03 रतनपुर सड़क तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, म.प्र.

क्र. रा.नि./ भोपाल,दिनांक 06/11/2026
ग्राम-गोल
022802032035001-APP-30245583

सूचना-पत्र

प्रति, शकुंतला देवी पत्नी श्री दुर्गेश्वरीलाल निवासी भोपाल। श्री जीतेन्द्र आ. श्री ताराचंद गिडवानी निवासी भोपाल। 1 श्री काजीभाई अग्रवाल मा. श्री कालूराम अग्रवाल नि भोपाल। 2 श्री संजय कुमार तिवारी आ. श्री दयाशंकर तिवारी निवासी भोपाल 3 श्री सुन्दरलाल, रामस्वरूप पिता श्री कमरलाल निवासी भोपाल 4- श्री फूलसिंह, हरिसिंह बारेलाल आ.श्री खुशीलाल एवं अन्य खातेदारगण निवासी ग्राम-गोल भोपाल 5-बालाप्रमाद इमरतलात, हरीप्रसाद बटनलाल, सागर, बिहारीलाल आ. सट्टीलाल 6- श्री मोहम्मद अयाज पिता श्री मुश्ताक अहमद निवासी भोपाल। आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसील-कोलार, जिला भोपाल के राजस्व प्रकरण कं./अ-12/में आवेदक श्री कांजी भाई अग्रवाल आ. श्री कालूराम अग्रवाल निवासी भोपाल द्वारा ग्राम गोल प.ह.न. रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल में स्थित भूमि खसरा क्रं. 322/3 रकबा 1.4265 हेक्टयर कुल रकबा 1.4265 हेक्टयर भूमि का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जिसका न्यायालय के आदेश पालन में आवेदित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर जांच प्रतिवेदन, फील्डबुक, नक्शा, सूचना पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः आवेदित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 14/11/2026 को समय बजे आवेदित स्थल पर की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना-पत्र जारी किया गया। किसी भी प्रकार का अतिआवश्यक शासकीय कार्य आने पर सीमांकन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। समय 11:00 बजे से 12:00 बजे तक दिं 14/11/2026 को किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर करें।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.

4008

कार्यालय राजस्व निरीक्षकवृत्त 03 रतनपुर सड़क तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, म.प्र.

क्र.रा.नि./ भोपाल,दिनांक 06/11/2026
ग्राम-गोल
आवेदन:-0228RD07-APP-30196982

सूचना-पत्र

प्रति, 1 श्रीमती सीमाबाई नेवा भैयालाल मिराठे, सूरज, शिवानी एवं अन्य मप्र खातेदार 2 श्री कांग्कांनी भाई अग्रवाल पिता श्री कालूराम अग्रवाल निवासी भोपाल। 3. श्री सुन्दरलाल, रामस्वरूप पिता श्री कमरलाल निवासी भोपाल। 4 श्री फूलसिंह हरिसिंह, वारेलाल, विजय सिह सुनील, सुनीता 5- नर्वदी बाई राजन बाई, बसंती बाई एवं अन्य खातेदारगण निवासी भोपाल। 6 श्री संजय कुमार तिवारी आ. श्री दयाशंकर तिवारी नि. भोपाल।7 सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसीगण आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसील-कोलार, जिला भोपाल के राजस्व प्रकरण कं/अ-12/में आवेदिका श्रीमती सीमा बाई बेवा भैयालाल मिरोठा एवं अन्य खातेदारगण निवासी ग्राम गोल भोपाल द्वारा ग्राम गोल प.ह.न. रा.नि.मं. 03. रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल में स्थित भूमि खसरा कं 322/2 रकबा 0.2379 हेक्टयर कुल रकवा 0.2379 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जिसका न्यायालय के आदेश पालन में आवेदित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर जांच प्रतिवेदन, फील्डबुक, नक्शा, सूचना पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः आवेदित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 14/11/2026 को समय 11: से 12 बजे आवेदित स्थल पर की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना-पत्र जारी किया गया। किसी भी प्रकार का अतिआवश्यक शासकीय कार्य आने पर सीमांकन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। समय 11 बजे से 12:00 बजे तक दि. 14/11/2026 सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर करें।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.

4007